सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 33 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. रेशमसिंह पुत्र जसकौरसिंह | जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
2. परविन्द्रसिंह पुत्र रेशमसिंह |
3. लखविन्द्रसिंह पुत्र जगरूपसिंह नाबालिग जरिए कुदरती बली माता सुखप्रीतकौर पत्नी जगरूपसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया।
4. सुखप्रीतकौर पत्नी जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. रणजीतकौर पत्नी जसकौरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
2. सर्वजीतकौर पुत्री जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
3. रमनदीपकौर पुत्री रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
4. अमरजीतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया हाल आबाद गिदड़वाह तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर साहेब (पंजाब)

5. गुरविन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह | जाति जटसिख निवासीगण शाहपीनी
6. गुरसेवकसिंह पुत्र भूरसिंह | हाल आबाद गिदड़वाह तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर साहेब
7. चरणजीतकौर पत्नी भूरसिंह
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री औम शर्मा वकील वादीगण
2— श्री नवरत्न स्वामी — वकील प्रति सं. 1 ता 7
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि वादीगण रेशमसिंह आदि ने जरिए वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्व यह दावा बाबत इस्तकरार हक के तहत इस न्यायालय में पेश किया। वादीगण ने अपना रजिस्ट्रड पता अर्जीदावा के शीर्षक में सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अंकित किया गया। दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के पूर्वज हाकमसिंह पुत्र सुन्दरसिंह थे जिनका देहान्त हो चुका है तथा दावा की सही स्थिति समझने के लिये दावा में वादीगण ने अपनी वंशावली दर्ज की है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की विरास्तन कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 6 / 4 (जमाबन्दी सम्वत् 2071—74) में अमरजीतसिंह के नाम 1.180 है0 गुरविन्द्रसिंह के नाम 0.222 है0 गुरसेवकसिंह के नाम 0.475 है0 चरणजीतकौर के नाम 0.307 है0 जगरूपसिंह के नाम 0.253 है0 रणजीतकौर के नाम 0.852 है0 तथा रेशमसिंह के नाम 0.253 है0 इस प्रकार कुल 3.542 है0 एवं इसी चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 97 / 66 में जगरूपसिंह के नाम 0.386 है, रणजीतकौर के नाम 0.4215 है, रेशमसिंह के नाम 0.4215 है, कुल 1.229 है0 एवं इसी चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 37 / 22 में जगरूपसिंह के नाम 0.6325 है, रेशमसिंह के नाम 0.6325 है, कुल 1.265 है0 तथा इसी चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96 / 65 में रणजीतकौर के नाम 1.265 है, इस प्रकार कुल 7.301 है0 तथा पंजाब राज्य के जिला मुक्तसर साहेब तहसील गिदड़वाह के ग्राम हल्का गिदड़वाह में भी कृषि भूमि स्थित है।नकल जमाबन्दीया हमराह दावा है।जमाबन्दी का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार से है कि चक नं.18 ए.एम.पी. खाता सं. 6 / 4 प0न0124 / 159 मु.न. 19 कि.न. 6 / 1 व 6 / 2,चक नं.18 ए.

एम.पी. खाता संख्या 97/66 प0न0 126/158 मु.न. 14 कि.न. 17,चक नं.18 ए.एम.पी. खाता संख्या 37/22 प0न0 126/158 मु.न. 14 कि.न. 12,चक नं.18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96/65 प0न0 126/159 मु.न. 21 कि.न. 171,तथा जमाबन्दी ग्राम गिदड़वाह खतोनी संख्या 294/288 व 396, 671, 672, 490/479, 666, 491/480, 667, 668 वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 ता 7 एक ही परिवार व कुटुम्ब समुदाय के व्यक्ति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 राजस्थान के ग्राम शाहपीनी में निवास करते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 पंजाब के ग्राम गिदड़वाह में निवास करते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के हिस्सा की राजस्थान राज्य की भूमि वादीगण को प्राप्त हो चुकी है तथा उक्त भूमि के प्रतिफल स्वरूप पंजाब राज्य के ग्राम गिदड़वाह में वादीगण के नाम भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 ने प्राप्त कर ली है अब राजस्थान राज्य की भूमि पर वादीगण का आधिपत्य एवं अधिकार है जिसे जरिये घोषणा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित भूमि हमारी विरास्तन भूमि है जिसमें वादी संख्या 2 का जन्मजात हिस्सा है तथा वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता जगरूपसिंह का देहान्त हो चुका है जिनके विधिक वारिस वादीगण संख्या 3 व 4 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ही है इस प्रकार जगरूपसिंह पुत्र जसकोरसिंह के हिस्सा की भूमि के वे ही हकदार है लेकिन प्रति0 संख्या 1 से 3 दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित भूमि में से किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उन्होने अपने–अपने हिस्से की भूमि वादीगण के पक्ष में छोड़ दी है जिसे वादीगण घोषित करवा अपने–अपने नाम कराने के मुश्तहक एवं दावेदार है। वादीगण का भी बाहमी घरू विभाजन मौखिक रूप से हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादीगण को चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 6/4 में वादी संख्या 1–रेशमसिंह को 1.771 है0 वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर को बहिब0 1.771 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व 4 ता 7 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 97/66 में वादी संख्या 1–रेशमसिंह को 0.6145 है0 वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर को बहिब0 0.6145 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 37/22 में वादी संख्या 2–परविन्द्रसिंह को 0.6325 है0 वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर को बहिब0 0.6325 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से वादी संख्या 1–रेशमसिंह व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96/65 में वादी संख्या 2–परविन्द्रसिंह को 0.6325 है0 वादीगण सं. 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर को बहिब0 0.6325 है0 भूमि प्राप्त हुई है उक्त खाता से प्रति0सं. 1–रणजीतकौर का नाम कलमजन किया जाकर उपरौक्तानुसार वादीगण का नाम अंकित किया जावे इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण पाना चाहते है जिसके वे मुस्तहक एवं दावेदार है। कि मुताबिक घरू विभाजन वादीगण ने प्रतिवादीगण 4 ता 7 से कई बार निवेदन किया कि मौखिक रूप से हुये पारिवारिक विभाजन अनुसार वादीगण को दावा के पहरा सं. 4 से 6 में वर्णितानुसार मिली भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर उनके नाम भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज करा देवे लेकिन प्रतिवादीगण पहले तो आज कल आज कल कहकर टालमटोल करते रहे अन्त में ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया है बस यही वाद कारण है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिहाजा वाद वादी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 6/4 में वादी संख्या 1–रेशमसिंह कुल 1.771 है0 वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर को बहिब0 कुल 1.771 है0 भूमि के खातेदार काश्ताकर घोषित किये जाते है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व 4 ता 7 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे, तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 97/66 में वादी संख्या 1–रेशमसिंह कुल 0.6145 है0 वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर बहिब0 कुल 0.6145 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे, तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी.में वादी संख्या 2–परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है0 व वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर बहिब0 कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खाता से वादी संख्या 1–रेशमसिंह व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक न.18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96/65 में वादी संख्या 2–परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है0 व वादीगण संख्या 3–लखविन्द्रसिंह 4–सुखप्रीतकौर बहिब0 कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1–रणजीतकौर का नाम कलमजन किया जाकर उपरौक्तानुसार वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय इकबालदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा मय इकबालदावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 रेशम सिह पुत्र जसकौर सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ चक 18 एएमपी खाता संख्या 6/4, 97/66, 37/22, 96/65 की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 एवं ग्राम गिदडवाह खतोनी 2019–20 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1 ता 5 करवाई है, जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 18 एएमपी खाता संख्या 6/4, 97/66, 37/22, 96/65 की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज वादगत कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 18 एएमपी खाता संख्या 6/4, 97/66, 37/22, 96/65 की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 एवं ग्राम गिदडवाह खतोनी 2019–20 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 5 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 ता 5 मे दर्ज है जो पैतृक सम्पति है। प्रतिवादी 1 ता 7 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दोवा मय इकबालदावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा मय इकबालदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 6/4 में वादी संख्या 1 रेशमसिंह कुल 1.771 है. वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह, 4 सुखप्रीतकौर को बहिब0 कुल 1.771 है0 भूमि के खातेदार काश्ताकर घोषित कर उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व 4 ता 7 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 97/66 में वादी संख्या 1 रेशमसिंह कुल 0.6145 है0 वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह, 4 सुखप्रीतकौर बहिब कुल 0.6145 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी.में वादी संख्या 2 परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है. व वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह 4 सुखप्रीतकौर बहिब0 कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त खाता से वादी संख्या 1 रेशमसिंह व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक न. 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96/65 में वादी संख्या 2 परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है0 व वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह 4 सुखप्रीतकौर बहिब कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1–रणजीतकौर का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 33/2023

1. रेशमसिंह पुत्र जसकौरसिंह | जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
2. परविन्द्रसिंह पुत्र रेशमसिंह |
3. लखविन्द्रसिंह पुत्र जगरूपसिंह नाबालिग जरिए कुदरती बली माता सुखप्रीतकौर पत्नी जगरूपसिंह जाति जटसिख साकिन शाहपीनी तहसील संगरिया।
4. सुखप्रीतकौर पत्नी जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) वादीगण

बनाम

1. रणजीतकौर पत्नी जसकौरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
2. सर्वजीतकौर पुत्री जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
3. रमनदीपकौर पुत्री रेशमसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया
4. अमरजीतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया हाल आबाद गिदड़वाह तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर साहेब (पंजाब)
5. गुरविन्द्रसिंह पुत्र भूरसिंह | जाति जटसिख निवासीगण शाहपीनी
6. गुरसेवकसिंह पुत्र भूरसिंह | हाल आबाद गिदड़वाह तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर साहेब
7. चरणजीतकौर पत्नी भूरसिंह
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 7 नवरत्न स्वामी एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 6/4 में वादी संख्या 1 रेशमसिंह कुल 1.771 है. वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह, 4 सुखप्रीतकौर को बहिब0 कुल 1.771 है0 भूमि के खातेदार काश्ताकर घोषित कर उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व 4 ता 7 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 97/66 में वादी संख्या 1 रेशमसिंह कुल 0.6145 है0 वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह, 4 सुखप्रीतकौर बहिब कुल 0.6145 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रति0 संख्या 1 व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक नम्बर 18 ए.एम.पी.में वादी संख्या 2 परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है. व वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह 4 सुखप्रीतकौर बहिब0 कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त खाता से वादी संख्या 1 रेशमसिंह व मृतक जगरूपसिंह का नाम कलमजन किया जाता है तथा चक न. 18 ए.एम.पी. खाता संख्या 96/65 में वादी संख्या 2 परविन्द्रसिंह कुल 0.6325 है0 व वादी संख्या 3 लखविन्द्रसिंह 4 सुखप्रीतकौर बहिब कुल 0.6325 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1–रणजीतकौर का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्....×.....निल....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक. .×...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13/04/2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official